नर्सिंग होम्स जहाँ के लिए उन व्यक्तियों के निरूद्ध आदेश है, में उनके उपचार के विकास का भी अनुवीक्षण करेंगे।

- विधिक सेवा संस्थान सम्बंधित दंडाधिकारी का ध्यान, ऐसे मानसिक रोगी की ओर आकर्षित करेंगे जिसे ग्रहण आदेश के अनुसार मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम्स में भेजा गया है और जो उपचार पश्चात् भी वहीं निरूद्ध है।
- विधिक सेवा संस्थान, अपने अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों / पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ताओं के माध्यम से, उपचारित स्वैछिक रोगियों की, धारा 18 के तहत अथवा किसी अस्वैछिक रोगी की मदद धारा 19 के तहत रिहाई के मदद आवेदन संस्थित करने मे करेंगे।
- विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत क्लिनिक अथवा आगुन्तक बोर्ड के भाग रूप के माध्यम से मानसिक बीमार व्यक्तियों के दाखिलों का पता लगाते रहेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि प्रारंभिक 90 दिनों से अधिक की रोक केवल न्यायालय के आदेशों के कारण ही हुई हैं।
- सभी विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 20 के तहत, सभी मामलों पर यह भी नजर रखेंगें ताकि कोई भी उपचारित रोगी मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन या सुविधा केन्द्रों में चूक से भी न रह जाए। संस्थान को रोगी के ठीक होते ही उसकी रिहाई के लिए आवेदन डाल देना चाहिए।
- विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 23 सह पठित धारा 25 के तहत, आवारा अथवा निसहाय मानसिक बीमार व्यक्तियों के मामलों पर नजर रखेंगे ताकि अधिनियम की धारा 28 के तहत दण्डाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को देखरेख में रखने की आवश्यकता का 10 दिन में पुनर्विलोकन सख्ती से किया जाए तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति समय से ज्यादा निरूद्ध न किया जाए जिसे अधिनियम की धारा 24 (2) (a) के तहत मानसिक बीमारी का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है।
- विधिक सेवा संस्थाएँ अपने विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ता के माध्यम से रोगियों के डिस्चार्ज का ट्रैक रखेंगी और जब भी आवश्यक हो रोगी की तरफ से प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी अथवा गृहण आदेश पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र देने में सहयोग और सहायता करेंगे।
- अधिनियम की धारा 45 और 46 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने में विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल/प्रतिधारण अधिवक्तागण भर्ती रोगियों को सहायता प्रदान करेंगे। अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अपील फाइल करने में भी उन्हें सहयोग करना चाहिए।
- विधिक सेवा संस्थाएँ मनोबाधित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत न्यायिक जांच कार्यवाही में भी शामिल होंगी। जिला न्यायाधीश से आवश्यक रूप से अनुरोध करेगी कि जब भी इनके समक्ष धारा 50 के अंतर्गत कोई आवेदन आये तो यह विधिक सेवा संस्थान को नोटिस जारी करें।
- जब धारा 53 के अंतर्गत व्यक्ति का कोई संरक्षक नियुक्त किया गया हो एवं/अथवा धारा 54 के अंतर्गत संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त किया गया हो अथवा अधिनियम की धारा 71 एवं धारा 79 के अंतर्गत भरण-पोषण का आदेश पारित किया गया हो तो विधिक सेवा संस्थाएँ प्रत्येक मुकदमें को पैरवी करेगी एवं मनोबाधित व्यक्ति के हितों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक कार्य करेंगी।
- अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत जैसा कि प्रावधान है विधिक सेवा संस्थाएँ अपील करने में समस्त संभव सहयोग प्रदान करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ, विधिक सेवा क्लीनिकों एवं अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों के द्वारा, एवं विजिटर्स परिषद् के सदस्य को सम्मिलित करते हुए भ्रमण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगी कि निवासियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो व जब भी ऐसे उल्लंघन सामने आएँ तो ये उच्च न्यायालय के समक्ष लाए जायें।
- जैसाकि स्वलीनता, सुमस्तिष्क पक्षाघात, मनोबाध्यता एवं बहुल अशक्तता से ग्रस्त लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 एक व्यापक अधिनियम है जो मानसिक रूप से अशक्त लोगो को देख-रेख प्रदान करता है। इसमें मानसिक रूप से अशक्त लोगों के माता-पिता की देख-रेख में सहयोग को सम्मलित करते हुए और संरक्षक की नियुक्ति द्वारा माता-पिता के देहांत के पश्चात मनोबाधित व्यक्तियों की देख-रेख एवं आर्थिक स्थिति का प्रबंध करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थाएं अधिनियम के विषय में लोगो को सूचित करे एवं इस का लाभ उठाने में उनका सहयोग करें। संरक्षक की नियुक्ति के मामले में अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी एवं विधिक सेवा क्लिनिक मनोबाधित व्यक्तियों एवं उनके परिवार की सहायता करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को उनके विरासत के अधिकार, संपत्ति रखने एवं आर्थिक अधिकारों का आनंद लेने को सुरक्षित करने में सहयोग करेंगी। मानसिक रोग एवं मानसिक अशक्त्ता से ग्रस्त लोग भी अन्य लोगो के जैसे चल एवं अचल सम्पत्ति की विरासत का अधिकार रखते हैं एवं अपने आर्थिक मामलो पर नियंत्रण रखने एवं बैंक ऋण, बंधक एवं अन्य आर्थिक लाभों को लेने का अधिकार रखते हैं जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है अथवा किसी वैसे सहयोगी व्यक्ति द्वारा जो मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के साथ कोई हित-भेद नहीं रखता हो। इसे साकार करने में विधिक सेवा संस्थाएँ समस्त विधिक सहायता प्रदान करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ अशक्तता वाले (सामान्य अवसर, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण शिरकत) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत समस्त लाभों को उठाने में मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सहायता करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पता लगाएंगी और इन योजनाओ के अंतर्गत लाभों को उठाने में विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रूप से आशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की सहायता करेंगी।

बेसहारा, बेघर और नि:सहाय मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले कदम

- विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 24 या 25 के तहत मानसिक बीमार व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे पेश करने में सक्षम संवेदक तथा संवेदनशील विधिक सेवा अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना चाहिए जो दण्डाधिकारी को मानसिक बीमार व्यक्ति के कल्याण हेतु आदेश देते समय सहायता प्रदान कर सके।

जागरूकता एवं संवेदनशीलकर्ता कार्यक्रम

- विधिक सेवा संस्थाएँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि लोगो को शिक्षित किया जा सके कि मानसिक रोग उपचार योग्य है और मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से कोई कलंक जुड़ा हुआ नहीं है।
- विधिक सेवा संस्थाएँ समाज में मानसिक रोगियों के साथ भी अन्य लोगों के जैसे सामान्य व्यवहार की आवश्यकता बतायेंगीं। ऐसे विशेष विधिक जागरूकता शिविरों में मनोचिकित्सकों, अधिवक्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, शिविर में आए लोगों की मानसिक रोग एवं मानसिक अशक्तता के विषय में भ्रम व भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होंगी।
- विधिक सेवा संस्थायें ऐसे शिविरों में जनता-जनार्दन को एवं उनके परिवार वालों को मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से सम्बंधित संपत्ति एवं उनके अन्य विधिक अधिकार तथा विधि के अन्य प्रावधानों के विषय में शिक्षित करेंगे।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ज्यूडिसियल अकादमी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजित कर सकते हैं ताकि न्यायिक अधिकारियों को मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके माता-पिता, रिश्तेदारों एवं परिवार सदस्यों द्वारा झेले गये सामाजिक एवं विधिक समस्याओं के सम्बन्ध में संवेदनशील बनाया जा सके।
- ऐसे ही कार्यक्रम विधिज्ञ परिषदों के सहयोग से भी संयोजित किये जा सकते हैं ताकि पैनल अधिवक्तागण एवं विधिक व्यवसाय के अन्य सदस्य को संवेदनशील बनाया जा सके।
- विधिक सेवा संस्थाएं स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं से मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क स्थापित करेंगी।

❑❑❑

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची
(झालसा)

नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 – संक्षिप्त परिदृश्य

केवल जन जागरूकता के लिए
प्रकाशन वर्ष : 2016

- किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची (0651–2481520) Website : www.jhalsa.org, Email : jhalsaranchi@gmail.com, फैक्स : 0651–2482397. (जिला स्तर पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क किया जा सकता है।
- सूचना – सह सामग्री केवल जन जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।

न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची
यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट (**www.jhalsa.org**) पर भी उपलब्ध है।

सिद्धान्त

मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए, विधिक सेवा संस्थानों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए :-

1. **मानसिक बीमारी साध्य है:-**
   विधिक सेवा संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक बीमारी उचित दवाई एवं देखरेख के साथ साध्य है।
2. **मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं हैं:-**
   मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक अशक्तता के विकासात्मक विकारों के कारण पीड़ित है। मानसिक विकास में कमी (एम.आर) की प्रकृति स्थाई होती है और यह साध्य नहीं है। ठीक इसी तरह स्वलीनता (आटिज्म) और दिमागी पक्षाघात। यह सब, इसीलिए अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (अशक्तताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम) धारा 2 के तहत अशक्तताग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान हैं (i) अशक्तताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और (ii) स्वपरायणता (आटिज्म), प्रमस्तिक घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999
3. **मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार हैं :-**
   मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देते समय, विधिक सेवा संस्थान का यह मुख्य सरोकार होना चाहिए कि इन व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित एवं रक्षित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि वह अपने मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद ले सके।
4. **मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा के लिए सम्मान:-**
   विधिक सेवा संस्थान को मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता सहित स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़वा देना चाहिए।
5. **गैर पक्षपात-**
   विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ मात्र उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण भेद-भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ अत्यंत संवेदनशीलता और देखभाल के साथ व्यवहार करना चाहिए।
6. **पर्याप्त आवास :-**
   विधिक सेवा संस्थानों को ऐसे प्रावधानों को बनाना चाहिए जो मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आवास और उनको प्रदत्त किसी भी योजना, कार्यक्रम, सुविधा अथवा सेवा तक समान अभिगमन को सुनिश्चित करें।
7. **मानसिक बीमार व्यक्तियों का उपचार प्राप्त करने का अधिकार :-**
   भारतीय संविधान के अनुछेद 21 से उत्पन्न उपचार एवं उचित स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक बीमार व्यक्तियों तो जानकारी के अभाव के कारण या अंधविश्वास अथवा साधनों के अभाव अथवा कलंक इत्यादि से उपजे अवैध परिरोधा के कारण उपचार प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय-IV में लागू प्रावधानों के माध्यम से मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में उपचार की उपलब्ध सुविधाओं तक सुगमतापूर्वक अभिगमन कर सकें।
8. **उपचार हेतु संसूचित सहमति :-**
   विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के उपचार केअध्यधीन हो, तो उसकी संसूचित सहमति प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सहमति देने में असक्षम है तो उसके रिश्तेदारों या मित्रों की संसूचित सहमति होनी चाहिए और इनकी अनुपस्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय V के भाग-II के तहत न्यायालय की संतुष्टि को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
9. **मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के शोषण और उत्पीड़न की रोकथाम :-**
   मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में खास तौर पर मानसिक अशक्तता से ग्रस्त महिलायें ऐसे अति संवेदनशील समूह है जिनका शोषण संभवत: अधिक होता है। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को उनके यौन उत्पीड़न सहित शोषण की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिए और दुर्व्यवहारियों एवं शोषकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए।

   मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति और मानसिक बीमार व्यक्ति सामान्यत: अपनी मानसिक दशा की चुनौती के कारण सूचना का लाभकारी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें सर्वोत्कृष्ट विधिक साक्षरता प्रदान नहीं की जा सकती जो उन्हें न्याय प्राप्त करने में सशक्त बनाये। इसलिए, विधिक सेवा संस्थानों को विधि के सम्बन्ध में, उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को, सामूहिकता के साथ-साथ वैयक्तिक आधार पर मूल्यांकन तथा परीक्षण करना चाहिए और ऐसी जरुरतों को विधिक सेवा देकर पूरा करना चाहिए।

मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों का विधिक सेवा

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने हेतु, निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता हैं :-

कारागारों में :-

- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दर्ज हो और एक माननीय न्यायाधीश को मामले के निपटान के लिए मनोनीत करना चाहिए, जैसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित है।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी कारागारों में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए) अथवा उच्च न्यायालय द्वारा गठित कोई भी अन्य दल की सहायता के साथ निरीक्षण करेंगे अथवा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या कारागारों में कोई मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति है और यदि हैं, तो उनके स्थानांतरण और उनके उपचार से सम्बंधित उच्च न्यायालय से तत्काल उचित निर्देश लेंगे।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए) के साथ समन्वय करके मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों/परामर्शदाताओं का एक दल गठित कर कारागारों में दौरा करेंगे और कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य की हालत की जाँच करेंगे। दल द्वारा आवश्यक जाँच के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कैदियों के मनोवैज्ञानिकों अथवा मनोचिकित्सकों द्वारा उपचार को सुगम करने हेतु आवश्यक संशोधनात्मक कदम उठाएंगे।
- ❖ न्यायिक दण्डाधिकारी को यह भी चाहिए कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय को उन मामलों के संबंध मे त्रैमासिक रिपोर्ट भेजें जिनमे जाँच पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा की जगहों पर भेजने तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कार्यवाही की गयी हो। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जायेगी, तब उस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कथित त्रैमासिक रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान मे लायी जाये और इस तरह उनसे सामान्य प्रकृति के मामलों मे अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति के मामले में अथवा विवादों के सम्बंध मे यथावश्यक निर्देश तथा आदेश प्राप्त किया जाये। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसा कोई भी आदेश अथवा निर्देश जारी होने की स्थिति में, सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान हेतु व उसके परिपालन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित करेगा, और ऐसे किसी भी आदेश या निर्देश के परिपालन में होने वाली अवमानना को मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान में लाएगा।

मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन और सुविधाएँ :

- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 37 के तहत, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार अथवा निजी संस्था द्वारा चालित, सभी मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों एवं ऐसे ही सुविधा केन्द्रों में, आगुन्तक बोर्ड का गठन करने के लिए अनुरोध करेगा जिसमे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव/पूर्णकालिक सचिव भी सदस्य होंगे। आगुन्तक बोर्ड को इन जगहों का नियमित दौरा कर के इन सुविधा केन्द्रों, भवनों या अस्पतालों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/आगन्तुक बोर्ड को इन अस्पतालों, भवनों एवं सुविधा केन्द्रों के रोगियों का पुनर्विलोकन करना चाहिए कि क्या यहाँ ऐसे उपचारित व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके परिवार वाले वापस घर ले जाने के अनिच्छुक हैं अथवा वह खुद अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे है। जब भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा आगुन्तक बोर्ड ऐसे रोगियों का पता लगाएं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इनके प्रत्यावर्तन हेतु सभी कदम उठाने चाहिए, जिसमे उपचारित व्यक्ति का अपने परिवार के साथ प्रत्यावर्तन हेतु न्यायालय से आदेश लेने में विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी शामिल होगा।
- ❖ विधिक सेवा संस्थान, ऐसे मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों या सुविधा केन्द्रों का दौरा करते समय रोगियों, चिकित्सकों और स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो बल पूर्ण दाखिले के पीड़ित है। ऐसे मामलों में, ऐसे व्यक्तियों को मनोचिकित्सक अस्पतालों या भवनों या सुविधा केन्द्रों से उनकी रिहाई हेतु विधिक सेवाएँ प्रदान की जायेगी।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों और सुविधा केन्द्रों में, मानसिक बीमार/मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवार वालों को मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधित विधिक विषयों पर विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक सेवा क्लीनिक को स्थापित करना चाहिए।
- ❖ ऐसे विधिक सेवा क्लीनिक को अर्द्धविधिक स्वयंसेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो ऐसे विषयों तथा व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो। न मानसिक स्वास्थय सुविधा केन्द्रों में चिकित्सको, नर्सो एवं अन्य अर्द्ध चिकित्सा कर्मियों/प्रशासनिक स्टाफ को अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षित करना उचित रहेगा ताकि मानसिक बीमार, मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बेहतर विधिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को शासित करने हेतु दो अधिनियम हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट (स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गति में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों हेतु) अधिनियम 1999 दोनों अधिनियम दण्डाधिकारी अथवा स्थानीय स्तर समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा उचित आदेशों के पारित होने के पूर्व सुनवाई की अपरिहार्यता निरूपित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थान इनमें अपने अर्द्ध -विधिक स्वयंसेवकों अथवा पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से सहभागिता अवश्य करें।

- ❖ यह विधिक सेवा संस्थान का कर्त्व्य होगा कि वह न्यायालय में, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, या 28 के तहत ग्रहण आदेशों अथवा विचार करने हेतु कोई आवेदन डाला गया हो, में अपना प्रतिधारक / पैनल अधिवक्ता नियुक्त करे।
- ❖ विधिक सेवा संस्थान, सभी मामलों मे ऐसे मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित दण्डाधिकारी से आवेदन कर सकते है जिनके संबंध में ग्रहण अथवा उन्मोचन आदेश हेतु आवेदन दिया गया हो और जिस पर दण्डाधिकारी, विधिक सेवा संस्थान को नोटिस दिये जाने संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही कर रहा हो।
- ❖ प्रतिधारक/पैनल अधिवक्ता, उन कथित मानसिक बीमार व्यक्तियों की दशा को सुनिश्चित करते हुए उसके रिश्तेदारों, मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंगहोम या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हुए उनकी परिस्थितियों के विवरण को जुटाएंगे, जिनके लिए न्यायालय में ग्रहण / रिहाई आदेश के आवेदन को डाला गया है। ताकि उचित आदेश प्राप्त हो सके।
- ❖ स्थानीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान मानसिक बीमार व्यक्तियों की एक सूची रखेंगे जिनके लिए न्यायालयों से ग्रहण आदेश पारित हुए हैं और संस्थान उन मानसिक बीमार व्यक्तियों का उन मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक